दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

जैसा कि विदित है कि भारतीय किसान यूनियन व अन्य संगठनों द्वारा दिनांक 12.12.2020 को कृषि अध्यादेशों के विरोध में चल रहे आन्दोलन में किसान टोल टैक्स फ्री को लेकर दादरी रोड़ पर स्थित टोल प्लाजा कितलाना पर बैठेंगे और टोल कर्मियों को टोल वसूलने से रोकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते किसानों द्वारा एक स्थान पर एकत्रित होने से सम्भावित सोशल डिस्टैंसिंग नियम की उल्लंघना होने के कारण कोराना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है इसलिए जिला भिवानी के अधिकार क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतू दिनांक 12.12.2020 को धारा 144 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के आदेश जारी किए जाने अति आवश्यक है।

मैं जयबीर सिंह आर्य भा0प्र0से0 जिलाधीश, भिवानी इस बात से सहमत हूँ कि भारतीय किसान यूनियन व अन्य संगठनों द्वारा दिनांक 12.12.2020 को कृषि अध्यादेशों के विरोध में चल रहे आन्दोलन के दौरान किसी भी शरारती/असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बिगड़ाने तथा सरकारी, गैर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत भारतीय किसान व अन्य संगठनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप व अन्य रूप से मानवीय हानि, सम्पति एवं जन शान्ति को भंग करने या किसी भी प्रकार का दंगा या डर फैलाने पर पाबन्दी लगाता हूँ।

अतः मै जयबीर सिंह आर्य भा0प्र0से0 जिलाधीश, भिवानी मुझे प्रदत भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व जन शान्ति बनाये रखने हेतू आमजनता या जनता का कोई भी प्रतिनिधि भिवानी जिले के सार्वजनिक स्थानों पर ना तो कोई जनसभा करेंगे और ना ही चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे और जिला भिवानी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे अग्नि शस्त्र, तलवार, बरछा इत्यादि (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़ कर) लेकर चलने पर पूर्ण रूप से दिनांक 12.12.2020 तक प्रतिबन्ध लगाता हूँ। यह आदेश पुलिस व अन्य ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक, भिवानी, अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी, सभी उपमण्ड़ल मैजिस्ट्रेट व जिला में नियुक्त सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तथा जिले के सभी थाना प्रभारी की अपने-अपने क्षेत्र की होगी।

आपातकालिन स्थिति के मद्येनजर यह आदेश एक तरफा जारी किये जाते है तथा तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे, जोकि आम जनता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ सम्बोधित है इन आदेशों को जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, भिवानी द्वारा भिवानी के क्षेत्र में ढ़ोल बजाकर मुनादी करवाकर तथा कचहरी, सामाजिक स्थानों पर पुलिस स्टेशनों पर चस्पा करवाकर प्रचार किया जाये।

इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किये जाते है।

जिलाधीश, भिवानी।

District Magistrate Bhiwani

पृ0क्रमांक 11365-11415 /एम0बी0 दिनांकः-12/12/2020.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकुला।
4. आयुक्त, रोहतक, मण्ड़ल रोहतक।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
6. पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज, रोहतक।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिवानी।
8. हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीश।
9. पुलिस अधीक्षक, भिवानी।
10. अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी।
11. उपमण्डलाधीश, भिवानी/लोहारू/सिवानी/तोशाम।
12. जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक, भिवानी।
13. जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी।
14. समस्त तहसीलदार/उप-तहसीलदार, जिला भिवानी।
15. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी व समस्त खण्ड विकास एवं पचायत अधिकारी, जिला भिवानी।
16. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, भिवानी।
17. कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद्/नगरपालिका, जिला भिवानी।
18. आशुलिपिक समीप उपायुक्त, भिवानी।

जिलाधीश, भिवानी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

जैसा कि विदित है कि भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों द्वारा दिनांक 14.12.2020 को कृषि अध्यादेशों के विरोध में चल रहे आन्दोलन में सांसद, विधायकों व मंत्रियों के आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे व सरकार का पूतला फूकेंगे जिस दौरान सड़क जाम की स्थिति की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस महामारी के चलते किसानों द्वारा एक स्थान पर एकत्रित होने से सम्भावित सोशल ड़िस्टैंसिंग नियम की उल्लंघना होने के कारण कोराना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है इसलिए जिला भिवानी के अधिकार क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतू दिनांक 14.12.2020 को धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश जारी किए जाने अति आवश्यक है।

मैं जयबीर सिंह आर्य भा0प्र0से0 जिलाधीश, भिवानी इस बात से सहमत हूँ कि भारतीय किसान यूनियन व अन्य संगठनों द्वारा दिनांक 14.12.2020 को कृषि अध्यादेशों के विरोध में चल रहे आन्दोलन के दौरान किसी भी शरारती/असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बिगड़ाने तथा सरकारी, गैर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत भारतीय किसान व अन्य संगठनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप व अन्य रूप से मानवीय हानि, सम्पति एवं जन शान्ति को भंग करने या किसी भी प्रकार का दंगा या ड़र फैलाने पर पाबन्दी लगाता हूँ।

अतः मै जयबीर सिंह आर्य भा0प्र0से0 जिलाधीश, भिवानी मुझे प्रदत भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व जन शान्ति बनाये रखने हेतू आमजनता या जनता का कोई भी प्रतिनिधि भिवानी जिले के सार्वजनिक स्थानों पर ना तो कोई जनसभा करेंगे और ना ही चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे और जिला भिवानी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे अग्नि शस्त्र, तलवार, बरछा इत्यादि (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़ कर) लेकर चलने पर पूर्ण रूप से दिनांक 14.12.2020 तक प्रतिबन्ध लगाता हूँ। यह आदेश पुलिस व अन्य ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक, भिवानी, अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी, सभी उपमण्ड़ल मैजिस्ट्रेट व जिला में नियुक्त सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तथा जिले के सभी थाना प्रभारी की अपने-अपने क्षेत्र की होगी।

आपातकालिन स्थिति के मद्येनजर यह आदेश एक तरफा जारी किये जाते है तथा तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे, जोकि आम जनता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ सम्बोधित है इन आदेशों को जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, भिवानी द्वारा भिवानी के क्षेत्र में ढ़ोल बजाकर मुनादी करवाकर तथा कचहरी, सामाजिक स्थानों पर पुलिस स्टेशनों पर चस्पा करवाकर प्रचार किया जाये।

इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किये जाते है।

District Magistrate Bhiwani

जिलाधीश, भिवानी।

क्रमांक 11431 - 11480 /एम0बी0 दिनांकः- 12.12.2020.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकुला।
4. आयुक्त, रोहतक, मण्ड़ल रोहतक।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
6. पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज, रोहतक।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिवानी।
8. हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीश।
9. पुलिस अधीक्षक, भिवानी।
10. अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी।
11. उपमण्डलाधीश, भिवानी/लोहारू/सिवानी/तोशाम।
12. जिला खादय एवं पूर्ति नियन्त्रक, भिवानी।
13. जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी।
14. समस्त तहसीलदार/उप-तहसीलदार, जिला भिवानी।
15. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी व समस्त खण्ड विकास एवं पचायत अधिकारी, जिला भिवानी।
16. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, भिवानी।
17. कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद्/नगरपालिका, जिला भिवानी।
18. आशुलिपिक समीप उपायुक्त, भिवानी।

जिलाधीश, भिवानी।